राजस्व वाद संख्या 70 / 2020
रामदेव वगैरह बनाम भींयाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 70 / 2020

वादीगण –

1. रामदेव पुत्र भींयाराम
2. गजानन्द पुत्र भींयाराम
3. भुगाना राम पुत्र भींयाराम
   जातियान–खाती (जाँगीड़) निवासीगण–खाबड़ियाना, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भींयाराम पुत्र पुसाराम
2. भंवरी पुत्री भींयाराम
   जातियान–खाती (जाँगीड़) निवासीगण–खाबड़ियाना, तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्री हरीश पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 04/02/2021**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर का खेत मौजा खाबड़ियाना में खेत खसरा नं. 558 / 218 रकबा 4.5325 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 20 रकबा 3.7959 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ड़) के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे माफिक वादपत्र में वर्णित पैरा संख्या 2 क से ड़ के अनुसार वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 20 पुरा खसरा, खसरा नं. 13 में से पश्चिमी तरफ रकबा 0.8094 हैक्टेयर, वादी गजानन्द के हक बंट में मौज खाबड़ियाना के खसरा नं. 13 में से पूर्वी तरफ रकबा 4.8563 हैक्टेयर, वादी भुगानाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 558/218 में से पूर्वी तरफ 4.0468 हैक्टेयर, प्रतिवादी भीयाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 558/218 में से पश्चिमी भाग 0.4857 हैक्टेयर, खसरा नं. 13 में से मध्यभाग 0.9712 हैक्टेयर, तथा खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से दक्षिणी सींव के पास–2 वादी रामदेव के हक बंट तक 0.08 बीघा भूमि रास्ते के रूप में घोषित की जाने इस्तदुआ वादीगण द्वारा वादपत्र में की गई तथा वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा इसी माफिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री हरीश पारीक ने की। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामदेव पुत्र भींयाराम, गजानन्द पुत्र भींयाराम, भुगानाराम पुत्र भींयाराम व भींयराम पुत्र पुसाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम खाबड़ियाना तहसील–जायल सम्वत् 2027–2030 खाता संख्या 64 प्रदर्श–1 पेश किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में खाता संख्या 725 खसरा नं. 572 व 742 में यथावत रखा जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

04/02/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा खाबड़ियाना के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त खेतायों में से वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 20 पुरा खसरा, खसरा नं. 13 में से पश्चिमी तरफ रकबा 0.8094 हैक्टेयर, वादी गजानन्द के हक बंट में मौज खाबड़ियाना के खसरा नं. 13 में से पूर्वी तरफ रकबा 4.8563 हैक्टेयर, वादी भुगानाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 558/218 में से पूर्वी तरफ 4.0468 हैक्टेयर, प्रतिवादी भीयाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 558/218 में से पश्चिमी भाग 0.4857 हैक्टेयर, खसरा नं. 13 में से मध्यभाग 0.9712 हैक्टेयर, तथा खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से दक्षिणी सींव के पास–2 वादी रामदेव के हक बंट तक 0.08 बीघा भूमि रास्ते के रूप में घोषित की इस्तदुआ चाही गई। चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 (41.08 बीघा) मौजा खाबड़ियाना में से दक्षिणी सींव के पास–पास वादी रामदेव के हक बंट तक 0.08 बीघा भूमि रास्ते के रूप में रखी गई जो कट्टाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने तथा शेष खसरा 13 व 558/218 का माफिक नजरीनक्शा व राजीनामा अनुसार बंट चाहा है

04/07/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर
(एस.डी.ओ.) जायल

जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया है।

तहसीलदार जायल ने न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण हाजा में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 29.12.2020 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू.अ. /प्राथमिक डिक्री/2021/621 दिनांक 04.02.2021 पेश किया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली में सामिल किया गया तथा वकुलाय को बंटवारा प्रस्ताव पर सुना गया। जिन्होने बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) में तहसीलदार/भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थिति हेतु जरिये नोटिस पक्षकारान् को सूचित किया गया। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 भींयाराम द्वारा तामील किये जाने से होती है। परन्तु बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादपत्र में अंकित इस्तदुआ अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा मुतदाविया खेताय की भूमि में नहीं रखा गया है जिससे मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का भी प्रतीत होता है। अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वकील वकुलाय का निवेदन बाबत् बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ही वाद पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

अतः वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर माफिक बंटवारा प्रस्ताव (पी.डी. रिपोर्ट) दिनांक 04.02.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 20 पुरा खसरा, खसरा नं. 13 में से पश्चिमी तरफ रकबा 0.8094 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
2. वादी गजानन्द के हक बंट में मौज खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 13 में से पूर्वी तरफ रकबा 4.8563 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
3. वादी भुगानाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं 558/218 में से पूर्वी तरफ 4.0468 हैक्टेयर घोषित की जाती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

राजस्व वाद संख्या 70/2020
रामदेव वगैरह बनाम भींयाराम वगैरह

4. प्रतिवादी भीयाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 558/218 में से पश्चिमी भाग 0.4857 हैक्टेयर, खसरा नं. 13 में से मध्यभाग 0.9712 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
5. ग्राम खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 भंवरी के हिस्से की भूमि का नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/07/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (जिला) नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद संख्या 70/2020
रामदेव वगैरह बनाम भींयाराम वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 70/2020

वादीगण –

1. रामदेव पुत्र भींयाराम
2. गजानन्द पुत्र भींयाराम
3. भुगाना राम पुत्र भींयाराम
   जातियान–खाती (जाँगीड़) निवासीगण–खाबड़ियाना, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भींयाराम पुत्र पुसाराम
2. भंवरी पुत्री भींयाराम
   जातियान–खाती (जाँगीड़) निवासीगण–खाबड़ियाना, तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्री हरीश पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री हरीश पारीक व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

तहसीलदार जायल पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम खाबड़ियाना तहसील जायल के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 20, 13 व 558/218 का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 20 पुरा खसरा, खसरा नं. 13 में से पश्चिमी तरफ रकबा 0.8094 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
2. वादी गजानन्द के हक बंट में मौज खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 13 में से पूर्वी तरफ रकबा 4.8563 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
3. वादी भुगानाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 558/218 में से पूर्वी तरफ 4.0468 हैक्टेयर घोषित की जाती है।

04/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

राजस्व वाद संख्या 70 / 2020
रामदेव वगैरह बनाम भींयाराम वगैरह

4. प्रतिवादी भीयाराम के हक बंट में मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 558 / 218 में से पश्चिमी भाग 0.4857 हैक्टेयर, खसरा नं. 13 में से मध्यभाग 0.9712 हैक्टेयर घोषित की जाती है।
5. ग्राम खाबड़ियाना तहसील जायल के खसरा नं. 13 रकबा 6.7016 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 2 भंवरी के हिस्से की भूमि का नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

04/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल– (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/02/2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

:–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)